

10-01-22

पत्रावली पेश हुई। कार-वार आवाज दिखाई गई परन्तु न अधिवक्ता अपीलान्ट और न अपीलान्ट स्वयं उपस्थित आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में स्वारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलें शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाता दारखिल दफ्तर हो।

राज्यपाल
राज्यपाल
राज्यपाल
राज्यपाल